

1.4.24

पत्रावली पेश हुई जाय अधिवक्ता उपस्थित नहीं। हस्तगत प्रकरण का मूल बाद क्रम 9 नियम 8 के तहत खारिज हो जाने से इसके अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रकरण आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम एजरी अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। निर्णय से अलास सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से इतली

[Signature]
(रिफा.डी.बी.)
RHS

उपखण्ड अधिकारी
गिरा, उदयपुर

